



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष 1942 (श०)
(सं० पटना 27) पटना बुधवार 6 जनवरी 2021

सं० 27/नि०था०-11-03/2019/12751/सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

31 दिसम्बर 2020

श्री ओम प्रकाश प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 499/2011, तत्कालीन अपर समाहर्ता, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक-17.11.2018 को परिवादी श्री राम प्रमोद सिंह से 6,00,000/रु० रिश्वत लेते समय रंगेहाथ गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी-II पटना के आदेशानुसार आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेजे जाने तथा उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं०-49/18 दिनांक-16.11.2018 दर्ज होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक-3738 दिनांक-23.11.2018 द्वारा उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापक 13658 दिनांक-19.12.2018 द्वारा श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक नियंत्रण एवं अपील के नियम 9(1) क एवं ग तथा 9(2) के प्रावधानों के तहत निलंबित कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक-17.11.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया तथा उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया निर्धारित किया गया।

2. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-604 दिनांक-21.06.2019 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-12469 दिनांक-11.09.2019 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा ट्रैप कांड को साजिश बताया गया है तथा अपने को पूरी तरह निर्दोष कहा गया है। उनके द्वारा आरोपों से इंकार करते हुए निलंबन मुक्त करने तथा विभागीय कार्यवाही को तब तक स्थगित करने की बात कही गयी है, जब तक कि क्रिमिनल केस पर कोई फैसला न आ जाय।

3. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया है कि चूंकि मामला निगरानी धावादल द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने से संबंधित है। अतः मामले की विस्तृत जांच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

4. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री प्रसाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 27-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>